

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
पत्रांक— 1030 /11-सी-FP/UP/Road/25036/2017, लखनऊ, दिनांक: नवम्बर /6, 2018

सेवा में,

प्रमुख सचिव (वन),
उ०प्र० शासन,
वन एवं वन्य जीव, अनुभाग-2,
लखनऊ।

विषय:- जनपद-बांदा में नरैनी से कार्लींजर तक सड़क के किमी० 35.00 से 60.825 तक तथा कार्लींजर-बघेलाबारी सड़क के किमी० 0.00 से 1.50 तक फोरलेन निर्माण कार्य हेतु कुल 31.58 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 1914 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ- भारत सरकार का पत्रांक-8बी/यू०पी०/०६/७६/२०१८/एफ०सी०/४९३, दिनांक ०२.११.२०१८

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयोंकित प्रकरण में वांछित सूचना/अभिलेख वन संरक्षक, चित्रकूटधाम वृत्त, बांदा ने अपने पत्रांक-1258/33-1, दिनांक-14.11.2018 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया है।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित वांछित सूचना/अभिलेखों की दो प्रतियाँ इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया विषयोंकित प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय
16/11

(पंकज मिश्र)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या- /11-सी-FP/UP/Road/25036/2017, दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र), केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ को उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में संलग्नक सहित।

संलग्नक:-यथोक्त।

2. वन संरक्षक, चित्रकूटधाम वृत्त, बांदा।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, बांदा वन प्रभाग, बांदा।
4. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लो०नि०वि०, बांदा।

(पंकज मिश्र)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।